प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2005–06

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2005–06

मंत्री	श्री जयंत कुमार मलैया
प्रमुख सचिव	श्री प्रभुदयाल मीना
आयुक्त सह सचिव	श्री मलय श्रीवास्तव
अपर सचिव	श्री रघुवीर श्रीवास्तव
अवर सचिव	श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव
अवर सचिव	श्री आर.के. कोरी

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश सरकार का हर विभाग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्यो का लेखा–जोखा वार्षिक प्रतिवेदन में प्रस्तुत करता है । इसी परिपाटी का निर्वाह करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का वर्ष 2005–06 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत है ।

(प्रभुदयाल मीना)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

भोपाल
दिनांक

::भाग–एक::

विभागीय संरचना

1. संचालनालय और उसके संभागीय कार्यालय

विभाग के अधीन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का विभागाध्यक्ष कार्यालय गठित है, जो अपने 7 संभागीय कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों का पर्यवेक्षण करता है।

नगरीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और उनकी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए संचालनालय स्तर पर मुख्य अभियंता और संभागीय स्तर पर कार्यपालन यंत्री के अधीन यांत्रिकी प्रकोष्ठ गठित हैं । इंदौर तथा जबलपुर में क्षेत्रीय अधीक्षण यंत्रियों के कार्यालय भी गठित हैं ।

विभाग के अधीन नगरीय निकायों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में तीन नवीन जिलों को छोडकर शेष 45 जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण गठित है । इन अभिकरणों में विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी पदस्थ किये गये हैं । विभाग के अन्तर्गत स्थापित संचालनालय उसके संभागीय कार्यालयों और जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिये स्वीकृत अमले का विवरण **परिशिष्ट–एक** पर दर्शाया गया है ।

2. नगरीय स्थानीय संस्थायें

2.1 विभाग के अधीन मध्यप्रदेश में कुल 338 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 14 नगर पालिक निगम, 87 नगरपालिका परिषद तथा 237 नगर पंचायतें हैं जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट–दो में दिया गया है ।

2.2 राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 51–एफ–1–42/05/18–3 दिनांक 23.12.05 से भोपाल के पास कोलार क्षेत्र के 20 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए उक्त क्षेत्र को ''लघुत्तर नगरीय क्षेत्र'' के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम निम्नानुसार हैः–

1 मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956
2 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
3 पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहॉ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)
4 विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956
5 सिंहस्थ मेला अधिनियम
6 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहॉ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)

7 स्लाटर आफ एनीमल्स एक्ट (जहॉ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)

8 मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984

9 मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976

10 मध्यप्रदेश साईकल रिक्शा (अनुज्ञप्तियों का विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक'36 सन् 1984)

मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों के संचालन के लिए क्रमशः मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 बनाये गये है । इन अधिनियमों में निकायों के गठन, परिषदों के निर्वाचन, उनके कार्य संचालन, कर्त्तव्यों, शक्तियों और राज्य सरकार की भूमिका संबंधी विस्तृत प्रावधान है । उक्त अधिनियमों में नगरीय निकायों के वित्तीय स्त्रोतों और लगाये जाने वाले करों और फीस के बारे में स्पष्ट प्रावधान है ।

प्रदेश के नगरीय निकाय स्वायत्तशासी है । विभाग का दायित्व इन निकायों को उनके बुनियादी कर्त्तव्यों के निर्वहन में प्रशासकीय, वित्तीय और तकनीकी मामलों में आवश्यक परामर्श और सहयोग देना है । नगरीय निकायों के लेखाओं का अंकेक्षण संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश के द्वारा किया जाता है ।

————————

भागःदो

बजट

प्रदेश सरकार नगरीय निकायों को विभिन्न मदों में आर्थिक सहायता स्वीकृत करती है । इसके लिए विभाग के बजट में प्रावधान किया जाता है । विभाग के वर्ष 2005–06 के बजट में नगरीय निकायों के लिए निम्नानुसार राशि का प्रावधान किया गया है :–

(1)	आयोजना	22268.06 लाख
(2)	आयोजनेत्तर	85594.80 लाख
	योगः–	107862.86 लाख

विभाग की आयोजना मद में मुख्य रूप से भोपाल शहर के लिए सफाई/विद्युत व्यवस्था का प्रावधान रूपये 200.00 लाख तथा अन्य मदों सहित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं शामिल है । आयोजनेत्तर मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को चुंगीकर, यात्रीकर से हुई हानि की क्षतिपूर्ति राशि सड़कों के मरम्मत और मूलभूत कार्यो के लिए अनुदान की राशि शामिल रहती है ।

वर्ष 2005–06 में आयोजना और आयोजनेत्तर मदों में प्रावधानित राशि और प्राप्त आवंटन का विवरण परिशिष्ट–तीन पर है ।

———

भाग:तीन

राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

शहरों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को ऊपर उठाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शहरों में भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 से लागू है । इस योजना के तहत 75 प्रतिशत् राशि भारत सरकार देती है, जबकि 25 प्रतिशत् राशि प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है । शहरी गरीबी रेखा का मापदण्ड इस समय प्रति व्यक्ति प्रति माह आय रूपये 522.64 पैसे से कम होना है । पूर्व सर्वेक्षण अनुसार इस समय प्रदेश में शहरी गरीब परिवारों की संख्या लगभग 9,22,000 है ।

इस योजना के प्रमुख कार्यक्रम और लक्ष्य इस प्रकार है :–

1.1 शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिये आर्थिक सहायता देकर गरीबी उन्मूलन करना इस योजना का लक्ष्य है ।

1.2 स्वरोजगार के लिये रूपये 50 हजार तक की परियोजनाओं के लिये परियोजना लागत का 15 प्रतिशत् या अधिकतम रूपये 7500/– अनुदान दिया जाता है । 80 प्रतिशत् ऋण बैंक देते है और 5 प्रतिशत् सीमान्त राशि हितग्राही को लगाना होती है ।

1.3 **स्वरोजगार कार्यक्रम** में कुल लाभान्वित हितग्राहियों में 30 प्रतिशत् महिला और 3 प्रतिशत् विकलांग हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश हैं । इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को स्थानीय आबादी में उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित किये जाने के निर्देश है ।

1.4 **हितग्राहियों के कौशल उन्नयन** के लिये विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है । जिनमें रूपये 2,000/– प्रति हितग्राही के मान से खर्च की सीमा निर्धारित है । प्रशिक्षण अवधि कम से कम 300 घण्टे होना चाहिए ।

1.5 **महिला एवं बच्चों के विकास कार्यक्रम** में कम से कम 10 महिला हितग्राहियों के एक समूह को अधिकतम रूपये 1.25 लाख या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत् जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है और शेष राशि ऋण के रूप में बैंकों से मिलती है ।

1.6 **बचत और साख समिति घटक** के तहत् गरीब परिवारों की समिति गठित की जाती है, जिसमें उन्हें छोटी–छोटी बचत करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ताकि जरूरत के समय वे समिति से ऋण प्राप्त कर सकें ।

1.7 **शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम** के तहत् सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर मजदूरी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । इस कार्यक्रम में निर्माण कार्य में सामग्री और श्रम पर खर्च का अनुपात 60 : 40 निर्धारित है । यह कार्यक्रम इस समय प्रदेश की नगर पंचायतों में लागू है ।

1.8 **योजना के सामुदायिक संगठन घटक** में सामुदायिक विकास समितियों के माध्यम से गरीबों के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबाड़ी आदि गतिविधियॉ चलाई जाती है ।

1.9 **प्राप्त केन्द्रांश और राज्यांश–** योजना के अंतर्गत वर्ष 2002–03 से वर्ष 2005–06 में माह दिसंबर 2005 तक प्राप्त राशि की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	वर्ष	प्राप्त केन्द्रांश	प्राप्त राज्यांश	योग
1	2002–2003	683.93	227.97	911.90
2	2003–2004	818.32	149.71	968.03
3	2004–2005	931.49	310.50	1241.99
4	2005–2006 दिसम्बर 2005 तक	1096.76	149.18	1245.94

1.10 **वर्ष 2005–2006 के लिये नियत लक्ष्य** और उसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2005 तक की उपलब्धि निम्नानुसार है :–

(रू. लाख में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि
1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	648.49	8645 हितग्राही	49.85	1046 हितग्राही
2	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (प्रशिक्षण)	468.37	23419 प्रशिक्षणार्थी	87.00	6173 प्रशिक्षणार्थी
3	अद्योसंरचना सहायता	121.21	–	17.84	85 सेवा केन्द्र
4	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम	546.89	218756 मानव दिवस	50.64	30415 मानव दिवस
5	महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम (अनुदान)	503.75	403 समूह	16.84	107 समूह
6	बचत एवं साख समिति	274.46	1098 समिति	101.94	605 समितियॉ
7	सामुदायिक संगठन घटक	299.59	–	61.95	610 बालवाड़ियॉ
8	सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण	–	–	8.41	–
9	स्थानीय निकायों का सुद्ढीकरण	–	–	10.66	–
10	प्रशासकीय व्यय	–	–	117.97	–
	योग	2862.76		523.10	

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के संकेत के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है ।

2 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय अर्बन रिन्युअल मिशन

2.1 भारत सरकार के शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 3 दिसंबर 2005 को देश के 63 बडे शहरों के समन्वित विकास को लक्ष्य करते हुये जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय अर्बन रिन्युअल मिशन का शुभारंभ किया गया है। मिशन के अंतर्गत प्रदेश के निम्नांकित शहरों का चयन हुआ हैः–

10 से 40 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में

1. भोपाल
2. जबलपुर
3. इंदौर

10 लाख से कम जनसंख्या वाले विशेष शहरों की श्रेणी में

1. उज्जैन

2.2 उपर्युक्त में से प्रथम श्रेणी के चयनित शहरों को मिशन के अंतर्गत 50 प्रतिशत् केन्द्रांश, 20 प्रतिशत् राज्यांश और 30 प्रतिशत् स्थानीय निकाय के अंश के मापदण्ड पर वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी, जबकि उज्जैन शहर के लिये 80 प्रतिशत् केन्द्रांश और 20 प्रतिशत् राज्यांश/निकाय के अंश के मापदण्ड पर धनराशि मुक्त की जायेगी ।

2.3 मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसरण में माननीय मंत्रीजी,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन विभागीय आदेश दिनांक 24.12.05 से किया जा चुका हैं । समिति में प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को उपाध्यक्ष एवं सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग सचिव, वित्त विभाग, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सबंधित नगरो के महापौर और परियोजना संचालक ए.डी.बी. को सदस्य मनोनीत किया गया है । आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, समिति के सदस्य सचिव हैं।
संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को मिशन के क्रियान्वयन के लिये नोडल ऐजेंसी मनोनीत किया गया है ।

2.4 मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये शहरी क्षेत्रों के लिये, शहरी क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न सुधारों को दी गई समय सारणी के अनुसार प्रदेश में लागू करना आवश्यक होगा । इनमें कुछ सुधार अनिवार्य स्वरूप के हैं,जबकि कुछ सुधार एच्छिक श्रेणी में रखे गये है । एच्छिक सुधार मिशन के आगामी 7 वर्ष की अवधि में लागू करना आवश्यक है।

अपेक्षित सुधार कार्यक्रमों में कुछ कार्यक्रम राज्य शासन द्वारा लागू किये जाना है, जबकि कुछ कार्यक्रम नगरीय निकायों के स्तर पर लागू किये जावेगें ।

राज्य सरकार के स्तर पर लागू किये जाने वाले सुधार कार्यक्रमों में कुछ कार्यक्रम शासन के अन्य विभागों से संबंधित हैं, जिनकी पूर्ति के लिये संबंधित विभागों से पहल की जा रही है ।

2.5 विभाग द्वारा मिशन के दिशा निर्देशों के अनुरूप चयनित शहरों के सिटी डेवलपमेन्ट प्लान (सी.डी.पी.) तैयार कराये गये हैं, जिन्हें स्टेयरिंग कमेटी से अनुमोदन करा लिया गया है । उक्त सी डी पी भारत सरकार को अग्रेषित करने की कार्यवाही प्रचलित है ।

2.6 मिशन के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये चयनित निकायों को अपेक्षित सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिये समयबद्ध कार्य योजना और भारत सरकार/राज्य शासन के साथ मेमोरेण्डम ऑफ ऐग्रीमेन्ट निष्पादित करना होगा ।

3. छोटे तथा मझोले नगरो की शहरी अधोसंरचना विकास योजना

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत चयनित शहरों को छोडकर प्रदेश के अन्य शहरों के लिये भारत सरकार ने दिसंबर 2005 में ही छोटे तथा मझोले नगरों की शहरी अधोसंरचना विकास योजना लागू की है । इस योजना में केन्द्र प्रवर्तित छोटे तथा मझोले नगर पालिक की समेकित विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) के घटकों के साथ ही शहरी विकास से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। यह घटक मुख्यतः शहरी नवीनीकरण, जलप्रदाय एवं सेनिटेशन, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नालियों का निर्माण एवं सडकों,राजमार्ग आदि का निर्माण, निजी भागीदारी पर आधारित पार्किग व्यवस्था, नगरीय जल क्षेत्र का संरक्षण आदि है । योजना लागत का 80 प्रतिशत् अंश भारत सरकार द्वारा, 10 प्रतिशत् राज्यांश और 10 प्रतिशत् नगरीय निकायों द्वारा लगाया जाना है।

विभाग द्वारा उक्त योजना के कियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ को नोडल एजेंसी मनोनीत किया गया है, जो प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के पर्यवेक्षण में कार्य करेगी ।

योजनांतर्गत चयनित नगरीय निकायों को शहरी सुधार से संबधित विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करना आवश्यक होगा । इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा भी विभिन्न सुधारों की योजनांतर्गत अपेक्षा की गई है ।

4 एकीकृत आवास एवं गंदीबस्ती विकास कार्यक्रम

यह योजना केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय गंदीबस्ती विकास कार्यक्रम और वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना को समन्वित कर नये रूप में लागू की गई है । जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तीयों के निवासियों को समुचित आवास तथा बुनियादी अधोसरंचना सुनिश्चित सुविधाये प्रदान करते हुये गंदी बस्तीयों का विकास करना है। योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय अर्बन रिन्युअल मिशन के लिये चयनित शहरों को छोडकर शेष सभी शहरों में लागू की जा सकेगी ।

5 राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम भारत सरकार के शत्–प्रतिशत् सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम में भारत सरकार से 70 प्रतिशत् ऋण और 30 प्रतिशत् अनुदान प्राप्त होता है । कार्यक्रम के तहत् प्रदेश के शहरों की घोषित गंदी बस्तियों में आबादी के आधार पर नीचे बताये गये कार्यो के लिये जिलों को आवंटन दिया जाता है । सभी निर्माण कार्य नगरीय निकायों के माध्यम से कराये जाते हैं ।

5.1 **भौतिक मूलभूत सुविधायें**– भौतिक मूलभूत सुविधाओं के अन्तर्गत जल आपूर्ति, सामुदायिक स्नानगृह, भूमिगत नालियॉ, सामुदायिक शौचालय, सड़क बत्तियॉ, गंदे पानी की निकासी आदि की व्यवस्था की जाती है ।

5.2 **भौतिक अधोसंरचना** –भौतिक अधोसंचरना के तहत् सड़कें, भूमिगत जल–मल निकास, सतही नालियों आदि का निर्माण कराया जाता है ।

5.3 **सामाजिक अधोसंरचना**–इसके अन्तर्गत आवास, आश्रय उन्नयन, पूर्व स्कूल शिक्षा के अलावा वयस्क शिक्षा, स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक भवन निर्माण आदि की व्यवस्था की जाती है ।

5.4 **आवंटन और उपलब्धि** –राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम में वर्ष 2003–04 और वर्ष 2004–05 और 2005–06 में माह जनवरी 2006 तक भारत सरकार से प्राप्त राशि, जिलों को जारी आवंटन और भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

(रूपये लाख में)

स. क्र.	वर्ष	प्राप्त आवंटन	भौतिक लक्ष्य (हितग्राही)	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि (हितग्राही)	वित्तीय उपलब्धि का प्रतिशत्
1	2003–04	2352.00	294000	913.68	114210	38.85
2	2004–05	1050.00	131250	1272.16	159026	121.16
3	2005–06	1252.17	156521	910.90	113863	72.75

योजना प्रारंभ से माह जनवरी 2006 तक प्रदेश की घोषित शहरी गंदी बस्ती क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के तहत जल आपूर्ति के लिये 8167 वाटर टेप्स, प्रकाश व्यवस्था में 4003 खंबे एवं बल्व, 55 सामुदायिक स्नान गृह का निर्माण, 255 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, 3096.57 किलोमीटर सड़क, 761.73 किलोमीटर सीवेज लाईन, 1966.50 किलोमीटर वाटर ड्रेनेज के निर्माण कार्य कराये गये हैं। सामाजिक अधोसंरचना के अन्तर्गत 305 आश्रयों का उन्नयन, 247 पूर्व शिक्षा संबंधी गतिविधियां, 2504 प्रौढ़ शिक्षा, 2788 प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां संचालित की गई । इसके अतिरिक्त 40 सामुदायिक भवनों का निर्माण भी कराया गया है । भारत सरकार द्वारा माह दिसम्बर 05 से इस योजना को नई योजना एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) में समाहित कर लागू की गई है ।

6 वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना

6.1 यह योजना 1 अप्रैल 2002 से प्रदेश में लागू है । इस योजना का उद्देश्य शहरों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और कमज़ोर वर्ग के ऐसे झुग्गी वासियों को जिनके पास उपयुक्त आवास नहीं है, को आवास बनाने के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ।

6.2 इसी योजना के साथ निर्मल भारत अभियान के नाम से एक सह योजना भी लागू की गई है, जिसका उद्देश्य मलिन बस्तियों (अर्थात झुग्गी बस्तियों) में सामुदायिक शौचालयों और पेयजल की बेहतर सुविधा प्रदान करना है ।

6.3 योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में रूपये 50 हजार और शेष नगरों में रूपये 40 हजार प्रति आवासगृह के मान से आर्थिक सहायता हुडको के माध्यम से दी जाती है । जिसमें 50 प्रतिशत् राशि भारत सरकार से अनुदान के रूप में और शेष 50 प्रतिशत् ऋण के रूप में होती है ।

6.4 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 (जनवरी 2006 तक) आवासों के निर्माण की प्रगति का विवरण निम्नानुसार हैः–

(रू. लाख में)

क्र.	वर्ष	स्वीकृत आवासों की संख्या	भारत सरकार से प्राप्त आवंटन	भेजे गये उपयोगिता प्रमाण पत्र	भौतिक उपलब्धि पूर्ण आवासों की संख्या	शेष उपयोगिता प्रमाण पत्र
1	2001–02 से 2005–06	7771	1655.75	1079.01	3506	576.04

वर्ष 2005–06 के लिये भारत सरकार द्वारा रूपये 822.00 लाख के संकेत प्राप्त हुए है जिसके लिये निम्नानुसार परियोजना प्रस्ताव क्षेत्रीय प्रमुख हुडको द्वारा हुडको मुख्यालय को प्रस्तुत किये गये हैं :–

क्र.	संस्था का नाम	मकानों की संख्या	परियोजना लागत	अनुदान
1	इंदौर विकास प्राधिकरण	572	387.26	143.00
2	इंदौर नगर निगम	1147	768.93	302.75
3	भोपाल नगर निगम	1063	669.69	265.75
4	नगर पालिका हरदा	421	195.25	84.20
5	भोपाल विकास प्राधिकरण	583	367.29	145.75
6	भोपाल नगर निगम (संजय नगर)	800	544.00	272.00
	योग	4580	2928.42	1213.45

7 शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि (यूरिफ) योजना

7.1 भारत सरकार, शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा राज्यों को सुधार से जुड़ी सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 2003–04 में शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि की स्थापना की गई । केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक 22.56 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है जिसके विरूद्ध राज्य सरकार से रूपये 18.10 करोड़ प्राप्त हुए है ।

7.2 शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि का उपयोग केवल आवास, शहरी विकास और गरीबी उपशमन की योजना/ योजना के क्रियान्वयन या इनकी पूर्ति के लिए किया जाएगा । आवंटित राशि के उपयोग के मार्गदर्शी सिद्वान्त भी तैयार कर लिये गये हैं, जिसके अंतर्गत इस राशि का उपयोग शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, जल योजनाओं का सुदृढ़ीकरण और ठोस अपशिष्ठ को हटाने पर किया जावेगा । राशि के आवंटन का आधार शहरी निकायों की जनसंख्या रहेगा । साथ ही वर्ष 2004–05 के लिए संपत्तिकर, जल कर एवं समेकित कर की वसूली को भी आधार माना जावेगा । इस मद में अभी तक माह जनवरी 2006 तक रूपये 498.75 लाख का आवंटन नगरीय निकायों को किया जा चुका है । वर्ष 2005–06 माह दिसम्बर 05 से यह योजना समाप्त हो गई है ।

8 जनश्री बीमा योजना

8.1 यह योजना नगरीय क्षेत्रों में कमज़ोर वर्ग के लोगों एवं ''ए'' क्लास मंडी समितियों के हम्मालों के लिये भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार के सहयोग से 26 जनवरी 2001 से एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लागू की गई थी एवं वर्तमान में यह योजना समस्त नगरीय निकायों में लागू है । इस योजना के लागू होने के कारण पूर्व संचालित सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना समाप्त की गयी है ।

8.2 इस योजना के तहत् एक सदस्य की प्रीमियम की राशि रूपये 200/– वार्षिक है । इसमें से रूपये 100/– भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गठित सामाजिक सुरक्षा कोष से एवं शेष राशि रूपये 100/– हितग्राही द्वारा जमा की जाती है । हितग्राही के पक्ष में शासन द्वारा कोई राशि देय नहीं है ।

8.3 बीमाधन :– बीमित सदस्य का बीमाधन रूपये 20,000/– है , अर्थात सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति को उक्त राशि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दी जाती है ।

8.4 <u>दुर्घटना बीमा लाभ</u> :–

1. दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 50,000/–
2. दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर रूपये 50,000/–
3. दुर्घटना में दोनों आंखें और दोनों हाथ, पॉव या एक आंख और एक हाथ या पांव अक्षम होने पर रूपये 50,000/–

4. दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या पांव से अक्षम होने पर रूपये 25,000/– की धनराशि देय होती है ।
जनश्री बीमा योजना में माह वर्ष 2005–06 में माह दिसम्बर 2005 तक 524 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

(ब) प्रादेशिक योजनाएं

1 मध्यान्ह भोजन योजना

शिक्षण सत्र 2005–06 में नगरीय क्षेत्रों के कुल 4760 प्राथमिक शालाओं में 10.06 लाख छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की परिवर्तित व्यवस्था में दाल–रोटी, रोटी–सब्जी और दाल–चावल, सब्जी बदल–बदल कर परोसा जा रहा है । इस शिक्षा सत्र मे राज्य वित्त आयोग की राशि में से विभाग द्वारा अब तक कुल रूपये 9.92 करोड़ की राशि नगरीय निकायों को आवंटित कर दी गई । पंचायत एवं ग्रामीण विकास (मेलक विभाग) द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से रूपये 5.29 करोड़ की राशि शहरी क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन के लिये उपलब्ध कराई गई है ।

भोपाल और जबलपुर में नॉदी फाउन्डेशन द्वारा इसी शिक्षा सत्र में भोजन पकाकर वितरण किया जाना है । जबलपुर नगर में भोजन वितरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है । भोपाल में केन्द्रीयकृत रसोई घर का निर्माण अंतिम चरण पर है ।

शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े शहरी क्षेत्रों की माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत् लगभग 4.97 लाख विद्यार्थियों के लिये वर्ष 2006–07 से मध्यान्ह भोजन वितरण करने के निर्देश प्राप्त हुये है । इसके लिये विभागीय बजट में रूपये 6.16 करोड़ का प्रावधान अतिरिक्त रूप से किया जायेगा ।

2 पर्यावरण सुधार

इस योजना में प्रदेश की नगर पंचायतों के क्षेत्राधिकार में बसी मलिन बस्तियों के रहवासियों को पेयजल, गली, सड़क, बिजली और सार्वजनिक शौचालय की सुविधा देने की व्यवस्था है वर्ष 2004–05 में योजना के तहत रूपये 128.39 लाख का व्यय किया गया है जिससे 16049 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2005–06 के बजट में राशि रूपये 114.00 लाख का प्रावधान किया गया है । राशि प्राप्त होना है ।

3 शुष्क शौचालय को जलवाहित शौचालय में परिवर्तन

प्रदेश के शहरों और कस्बों में स्थित शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने की योजना राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना में शामिल है । वर्ष 99–2000 में चिन्हित् शुष्क शौचालय की संख्या 50657 थी । समस्त चिन्हित् शौचालयों का जल वाहित शौचालय में परिवर्तन किया जा चुका है ।

प्रदेश में सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिवेध) अधिनियम 1993 को पंजीकृत किया जा चुका है और प्रदेश की सभी 338 नगरीय निकायों के क्षेत्र में अधिसूचना जारी कर अधिनियम लागू किया गया है ।

4 पुनर्स्थापन–व्यवस्थापन योजना

इस योजना के अन्तर्गत शासकीय भूमि पर झुग्गियां बनाकर रहने वाले अस्थाई पट्टेधारी व्यक्तियों को अन्यत्र बसाया जाकर उन्हें मूलभूत सुविधाएं यथा–सडक, पानी, बिजली, नाली निर्माण आदि उपलब्ध कराई जाती है । यह योजना वर्ष 1985 से लागू है । झुग्गियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यवस्थापित करने का कार्य कलेक्टर द्वारा किया जाता है । राशि का आवंटन भी कलेक्टर को विभाग के माध्यम से किया जाता है । कलेक्टर विभिन्न एजेसिंयों यथा भोपाल विकास प्राधिकरण, राजधानी परियोजना प्रशासन, पी.डब्ल्यू.डी., पी.एच.ई. आदि से कार्य करवाते हैं । अभी तक लगभग 10000 झुग्गी वासियों को पुनर्व्यवस्थापित किया गया है । वर्तमान में यह योजना सिर्फ भोपाल शहर में लागू है । विगत चार वर्षो में इस योजना के तहत किया गया बजट प्रावधान व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि लाखों में)

वर्ष	वित्तीय प्रावधान	व्यय राशि
2002–03	58.80	37.805
2003–04	31.21	–
2004–05	25.00	–
2005–06	–	115.58

वर्ष 2005–06 में कलेक्टर भोपाल द्वारा नगर निगम के सहयोग से 1200 झुग्गीयों का व्यवस्थापन कराया गया है ।

5 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं

5.1 सामान्य जल आवर्धन योजना– नगरों की सामान्य जल आवर्धन योजना के अंतर्गत 20 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए शासन का अनुदान 30 प्रतिशत् और शासन/वित्तीय संस्था का ऋण 70 प्रतिशत् के अनुपात में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । जबकि 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों के लिए शासन का अनुदान 70 प्रतिशत और शासन/ वित्तीय संस्था से 30 प्रतिशत् राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है । 40 योजनाएं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा,देवास शहर की योजना संबंधित नगर निगम द्वारा तथा हरदा, दतिया एवं दमोह नगरपालिका की योजनाएं नगरपालिका द्वारा क्रियान्वित की जा रहीं है ।

5.2 केन्द्र प्रवर्तित गतिवर्धित जल प्रदाय योजना–यह योजना 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों के लिए है । योजना का वित्तीय स्वरूप निम्नानुसार है :–

1. भारत सरकार से 50 प्रतिशत् अनुदान

2. राज्य सरकार से 45 प्रतिशत् अनुदान
3. संबंधित निकाय का अंशदान 5 प्रतिशत्

इस योजना के अंतर्गत वर्तमान तक प्रदेश के 155 नगरों का चयन किया गया है । इनमें से 152 नगरों की योजनायें भारत सरकार को तकनीकी अनुमोदन के लिए भेजी गई थी, जिनमें से 147 नगरों की योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त हो चुका है । 05 नगरों की योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त होना है । स्वीकृत योजनाओं में से 131 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है तथा अभी तक कुल 42 नगरों की योजनांए पूर्ण होकर संचालित है । वर्ष 2005–06 में ये कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा बंद कर छोटे एवं मझोले शहरों हेतु अधोसंरचना विकास कार्यक्रम दिसम्बर 05 में प्रारंभ किया गया है जिसमें छोटे एवं मध्यम श्रेणी के शहरों की जल प्रदाय एवं मलजल निकासी योजनाओं के साथ अधोसंरचना के विकास कार्य किये जा सकेंगे। इस कार्यक्रम का वित्तीय ढांचा 80 प्रतिशत् केन्द्र शासन का अनुदान, 10 प्रतिशत् राज्य शासन का अनुदान एवं 10 प्रतिशत् राशि संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी ।

5.3 **बरसात के पानी का भूमिगत संरक्षण**–भूमि विकास नियम 1984 में 7 अप्रैल 2000 को किये गये संशोधन के अनुसार 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र तक के भूखण्डों में भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान अनिवार्य किये गये थे जिसे संशोधित कर दिनांक 29.6.2001 को 250 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के भूखण्डों में भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया ।

नगरीय निकायों के क्षेत्रों में जिन भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जावेगी, उन भवनों में प्रथम बार (एक वर्ष) के लिये सम्पत्ति कर में 6 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान दिनांक 23.3.2001 को लागू किया गया है ।

नगरीय निकायों द्वारा जारी की गई भवन अनुज्ञा के साथ 27,825 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान कर भवन अनुज्ञा जारी की गई । जिसके विरूद्व अब तक 2454 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान किये जा चुके हैं ।

5.4 **भोपाल शहर की नर्मदा स्त्रोत पर आधारित जल आवर्धन योजना**–भोपाल शहर के लिए नर्मदा नदी स्त्रोत पर आधारित दीर्घकालीन जल प्रदाय योजना लागत रूपये 298.00 करोड़ की बनाई गई है । भारत सरकार के सी.पी.एच.ई.ई.ओ. द्वारा योजना के लिये लागत रूपये 24022.65 लाख का तकनीकी निष्पादन प्रदान किया गया है । योजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 28.2.2005 को जारी की गई है । योजना का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है । योजना के क्रियान्वयन के लिये रूपये 12.00 करोड़ अनुदान एवं रूपये 28.00 करोड़ ऋण की राशि मुक्त की गई है ।

(स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

1 एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता योजना

1.1 प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेयजल आवश्यकता की पूर्ति एवं पर्यावरण सुधार हेतु भारत सरकार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी) से नगरीय निकायों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है ।

1.2 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, एवं जबलपुर शहरों को चुना गया है ।

1.3 योजना का मुख्य उद्देश्य इन शहरों में पर्यावरण, अधोसंरचना एवं सेवाओं में सुधार जैसे– जल आपूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, जल–मल निकासी प्रणाली, जल–मल शोधन संयत्र लगाने, ठोस अपशिष्ट के प्रबंध आदि के साथ–साथ जन भागीदारी तथा सामुदायिक विकास करना है ।

1.4 ए.डी.बी. द्वारा इस योजना में होने वाले व्यय का आंकलन निम्नानुसार किया गया है :–

क्र.		कार्य का विवरण	कुल लागत (मिलियन यू.एस. डॉलर में)	कुल लागत रू. करोड में
अ.	1	जलापूर्ति, सीवर जलमल निकासी, बरसाती पानी की निकासी एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंध	187.70	932.30
	2	जनभागीदारी / सामुदायिक विकास	6.40	31.80
	3	क्रियान्वयन सहयोग	19.30	95.90
		योग (अ)	213.40	1060.00
ब.		आकस्मिकता	36.40	180.90
स.		टैक्स एण्ड ड्यूटीज	10.80	53.60
द.		ब्याज आदि	14.40	71.50
		कुल योग (अ+ब+स+द)	275.00	1366.00

* 1 US $= Rs 49.67

1.5 उक्त योजना हेतु आंकलित लागत रू.1366.00 करोड़ (275.00 मिलियन यू.एस. डॉलर) के वित्त पोषण हेतु एडीबी द्वारा रू.899.00 करोड़ (181 मिलियन डॉलर), यू.एन.हेबीटेट से रू.2.50 करोड़ (0.5 मिलियन डॉलर), राज्य सरकार का अंशदान रूपये 228.00 करोड़ (45.9 मिलियन डॉलर) तथा संबंधित स्थानीय निकायों से रूपये 236.00 करोड़ (47.6 मिलियन डॉलर) की हिस्सेदारी रखी गई है।

1.6 एडीबी से प्राप्त होने वाली राशि 181 मिलियन यू.एस. डॉलर (66 प्रतिशत) भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को 70 प्रतिशत् ऋण तथा 30 प्रतिशत् अनुदान के रूप में प्राप्त होगी । राज्य शासन एवं नगरीय निकायों को यह ऋण ब्याज सहित 20 वर्ष (निर्माण अवधि के पांच वर्ष लेते हुए) की अवधि में वापिस करना

होगा । योजना की क्रियान्वयन अवधि पांच वर्ष होगी । प्राप्त होने वाले ऋण पर वर्तमान में 9.0 प्रतिशत् ब्याज लगेगा ।

1.7 राज्य शासन द्वारा परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है एवं इस हेतु 2005–06 के बजट में भी प्रावधान किया गया है ।

1.8 परियोजना के प्रबंधन एवं मानिटरिंग के लिए विभाग द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई (पी एम यू) एवं परियोजना क्रियान्वयन के लिये नगरीय निकायों में परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी आई यू) का गठन किया गया है ।

1.9 पी.एम.यू. के सहयोग के लिए अन्तरराष्ट्रीय सलाहकार मेसर्स Louis Berger Group एवं पी.आई.यू. के सहयोग के लिये रूपांकन एवं पर्यवेक्षण सलाहकार मेसर्स TCE Counsultants तथा मेसर्स Shah Technical Consultants द्वारा विभिन्न कार्यो के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने हेतु सर्वेक्षण एवं रूपांकन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ।

2. मध्य प्रदेश शहरी प्रबंधन कार्यक्रम

2.1 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की पहल पर ब्रिटिश सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (DFID) के द्वारा राज्य के 4 बडे शहरों– भोपाल, इन्दौर, जबलपुर और ग्वालियर में शहरी प्रबंधन, जनोन्मुखी प्रशासन और गरीबों तक बुनियादी सुविधाओं की पहुॅच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शहरी प्रबंधन कार्यक्रम को वित्तपोषित करने का निर्णय लिया है । कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नानुसार हैः–

(1) शहरी गरीबों को भागीदार बनाते हुये नगर नियोजन द्वारा प्रबंधन की प्रक्रिया को कार्यरूप देना ।

(2) लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये गन्दी बस्तियों में पर्यावरण अधोसंरचना में सुधार की प्रकिया लागू करना और इससे गरीबों को सुविधाओं के संधारण और संचालन में भागीदार बनाना ।

(3) राज्य और नगरपालिका स्तर पर शहरी गरीबों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं के लिये सशक्त संस्थागत ढांचा तैयार करना ।

(4) शहरों को उनके विकास और वृद्धि दर के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिये बेहतर नीतिगत, वैधानिक और संस्थागत वातावरण तैयार कराना ।

(5) शहरी गरीबों के लिये साफ पीने का पानी और स्वच्छता सहित बुनियादी सेवायें उपलब्ध कराने मे सहयोग करना ।

(6) राज्य तथा नगर पालिक निगमों को उनके कार्यो के प्रति उत्तरदायी, प्रभावी और जनमानस की आवश्यकताओं के प्रति पारदर्शी तथा सहभागी बनाने हेतु उनके अमले का दक्षता उन्नयन ।

2.2 ब्रिटिश सरकार ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से परामर्श उपरांत मध्यप्रदेश शहरी प्रबंधन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिये जी.एच.के. इंटरनेशनल (यू.के.) को दिनांक 20.6.05 को कन्सलटेंट नियुक्त किया है । कन्सलटेंट ने अपनी रिर्पोट प्रस्तुत कर दी है ।

2.3. डी.एफ.आई.डी से प्राप्त संकेतों के अनुसार मध्यप्रदेश शहरी प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को आगामी 5 वर्षों में लगभग रूपये 320.00 करोड की वित्तीय सहायता प्राप्त होने की संभावना है।

4. डी.एफ.आई.डी के द्वारा प्रायोजित शहरी प्रबंधन कार्यक्रम इन शहरों में एशियाई विकास बैंक की सहायता से क्रियान्वित किये जा रहे मध्य प्रदेश शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना की सहयोगी परियोजना के रूप में कार्य करेगा ।

(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

1 पवित्र नगरी

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अभी तक प्रदेश के सात स्थलों क्रमशः महेश्वर, ओंकारेश्वर, उज्जैन, ओरछा, मैहर, चित्रकूट और अमरकंटक को पवित्र नगरी घोषित किया गया है इन पवित्र नगरों के विकास कार्य एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कुल 80.00 लाख का आवंटन दिया जा चुका है । पवित्र नगरों में सुविधाएं मुहैया कराने एवं समन्वय का कार्य धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा भी किया जा रहा है ।

2 अयोध्या बस्ती योजना

2.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शहरों में स्थित गंदी बस्तियों के समन्वित विकास के लिए दिनॉक 4 अक्टूबर, 04 से अयोध्या बस्ती योजना लागू की गई है । इस योजना के अंतर्गत अधोसंरचना विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू किया गया है। नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली आधारभूत सुविधाएं यथा–जल प्रदाय, स्वच्छता, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, मार्गों तथा नालियों का निर्माण एवं सामुदायिक गतिविधियां उपलब्ध कराई जाएंगी ।

2.2 योजना के अंतर्गत किए जाने वाले अधोसंरचना विकास कार्य के लिए राशि की व्यवस्था राष्ट्रीय गंदी बस्ती उन्नयन कार्यक्रम, पर्यावरण सुधार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी मजदूरी कार्यक्रम सहित सांसद विधायक निधि और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगरीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं के लिए आवंटित किए जाने वाले धन तथा कालोनाइजर नियमों के तहत प्राप्त आश्रय शुल्क का उपयोग किया जाएगा ।

2.3 योजना के अंतर्गत बड़े शहरों यथा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में पांच–पांच बस्तियों तथा शेष सभी शहरों में एक–एक बस्ती का चयन किया गया है । इस प्रकार कुल 357 बस्तियों का चयन किया गया है ।

2.4 योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 के विभागीय बजट में राशि रूपये 20.00 करोड का प्रावधान किया गया है, इस बजट प्रावधान के विरूद्ध वित्त विभाग द्वारा रूपये 18.00 करोड के आहरण की स्वीकृति प्रदान की गई है इस राशि का आहरण कोषालय से किया जाकर प्रदेश के पांच बड़े शहरों यथा–उज्जैन, ग्वालियर, इन्दौर तथा जबलपुर को पांच–पांच बस्तियों के लिए रू. 9.80 लाख प्रति बस्ती के मान से रूपये 49.00

लाख प्रत्येक को प्रदान किये गये हैं तथा भोपाल को रू. 10.00 लाख प्रति बस्ती के मान से रू. 50.00 लाख दिये गये हैं । शेष नगरपालिक निगम को रूपये 10.00 लाख, नगरपालिका को रूपये 6.00 लाख एवं नगर पंचायत को रूपये 4.00 लाख की राशि दी गई है ।

3 सिंहस्थ 2004 उज्जैन

मध्यप्रदेश राज्य की गौरवशाली परम्परा के प्रतीक सिंहस्थ कुंभ महापर्व का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर बसी पवित्र उज्जयिनी नगरी में किया जाता है । वर्ष 2004 में इसी परम्परा अनुसार 5 अप्रैल 2004 से 4 मई 2004 तक सिंहस्थ 2004 कुंभ मेला आयोजित किया गया ।

2 वर्तमान में सिंहस्थ 04 के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा तात्कालिक स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए कराए गए आवश्यक कार्यो की वित्त विभाग के साथ विस्तृत समीक्षा और परीक्षण, उन पर मंत्री परिषद् समिति की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करना, आंकड़ों का मिलान/समीक्षा, लेखा परीक्षण सिंहस्थ 04 अंतर्गत निर्मित आस्तियों के चिन्हांकन और रख–रखाव आदि संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई विभाग द्वारा संपादित की जा रही है । मेला कार्यालय सिंहस्थ 04 के पदों की निरन्तरता समाप्त हो जाने के कारण मेला अधिकारी सिंहस्थ 04 को प्रदान किए गए आहरण एवं संवितरण/कार्यालय प्रमुख का अधिकार विभाग द्वारा कलेक्टर, उज्जैन को प्रत्यायोजित किया गया है । मंत्री परिषद् समिति की दिनांक 27.1.05 को संपन्न हुई बैठक में सिंहस्थ 04 के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा कराए गए 107 कार्यो पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है । तद्नुसार मेले की व्यवस्था हेतु वर्ष 2005–06 में रूपये 9.00 करोड़ का आवंटन कलेक्टर जिला–उज्जैन को उपलब्ध कराया गया है ।

3 इसके अलावा विभाग के आदेश दिनांक 14.6.05 से उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए की जाने वाली दीर्घकालीन स्थाई व्यवस्थाओं के संबंध में राज्य शासन को सुझाव देने के उद्देश्य से सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का गठन किया गया है और श्री दिवाकर नातू को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है । यह व्यवस्था भी की गई है कि कलेक्टर कार्यालय, उज्जैन में मेला कार्यो के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के सचिव होगें और प्राधिकरण के कार्य हेतु अनुसचिवीय सेवाएं,कलेक्टर उज्जैन द्वारा उनके कार्यालय एवं अन्य कार्यालय में पदस्थ अमले में से उपलब्ध कराई जाएगी ।

(ई) कर्मचारी कल्याणकारी योजनाएं

1 पेंशन योजना

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन देने की योजना संचालित की जा रही है, जिसके लिये संचालनालय स्तर पर कन्ट्रोलर ऑफ पेंशन फॉर लोकल बॉडीज के नाम से एक पृथक खाता खोलकर पेंशन निधि का गठन किया गया है, जिसमें कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम का 12

प्रतिशत् की दर से नगरीय निकायों से अंशदान एवं 15 प्रतिशत् चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान राशि काटकर पेंशन कोष में जमा की जाती है । आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास इस फण्ड के नियंत्रक है ।

उक्त योजना के अन्तर्गत माह जनवरी 2006 तक पेंशन/परिवार पेंशन के कुल 8961 प्रकरण स्वीकृत किये जा चुके है, जिन्हें पेंशन का भुगतान किया जा रहा है । चालू वित्त वर्ष में 767 प्रकरण निराकृत हुए हैं ।

प्रदेश के नगर पालिक निगम भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम द्वारा स्वयं अपने कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।

2 परिवार कल्याण योजना

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों (ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, सिंगरौली और उज्जैन नगर निगम को छोड़कर) के कर्मचारियों के लिए राज्य शासन द्वारा अक्टूबर, 1987 से परिवार कल्याण निधि योजना लागू की गई है । इस योजना के अन्तर्गत संचालनालय द्वारा पृथक से संचालक परिवार कल्याण निधि खाता संधारित है जिसमें निकाय के कर्मचारियों के वेतन से मासिक अभिदान की राशि काटी जाकर इस खाते में जमा की जाती है जिसका विवरण इस प्रकार है :–

क्रमांक	कर्मचारी की श्रेणी	मासिक अभिदान राशि (रूपये में)
1	प्रथम श्रेणी	160.00
2	द्वितीय श्रेणी	120.00
3	तृतीय श्रेणी	100.00
4	चतुर्थ श्रेणी	60.00
5	सफाई कामगार	30.00

उपर्युक्त योजना में शामिल अधिकारी/कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा नियमों में उल्लेखित परिवार के अधिमान क्रम के अनुसार दावेदार को क्रमशः रूपये 1.60 लाख, 1.20 लाख, 1.00 लाख, 60,000/– और 30,000/– की राशि का भुगतान किया जाता है । सेवानिवृति उपरांत अभिदाता के खाते में जमा वास्तविक अभिदान राशि और उस पर देय अंशदान राशि का भुगतान किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2005–06 के नवम्बर, 2005 तक उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कुल 863 सेवानिवृत/मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य को लाभान्वित करते हुए अभी तक कुल राशि रूपये 2,08,47,935/–का भुगतान किया गया है ।

3 सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना

प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना वर्ष 1987 से प्रारंभ की गई है । यह योजना कुछ समय के लिए भारतीय जीवन

बीमा निगम को हस्तांतरित की गई थी तदुपरांत पुनः दिनांक 1.4.2002 से राज्य शासन द्वारा इस योजना का संचालन का कार्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सौंपा गया । इस योजना के तहत सफाई कामगारों के लिए प्रति व्यक्ति के लिए कुल वार्षिक प्रीमियम राशि रूपये 48/– है । इस राशि में प्रीमियम का 3/4 भाग अर्थात रूपये 36/– वार्षिक राज्य शासन का अंशदान और प्रति व्यक्ति से प्रीमियम का 1/4 भाग अर्थात रूपये 1/– से वार्षिक अंशदान रूपये 12/–वहन किया जाता है। सफाई कामगार की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर रूपये 5,000/– और दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 10,000/– नामित व्यक्ति को एक मुश्त भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2005–06 में अप्रैल, 2005 से जनवरी 2006 तक कुल 38 सफाई कामगारों को उनकी मृत्यु उपरांत उनके नामित व्यक्तियों को राशि रूपये 1,90,000/– की राशि का भुगतान किया गया है ।

———————

भाग:चार

अन्य प्रशासनिक कार्य

1 प्रशिक्षण कार्यक्रम

नगरीय निकायों के नव–निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों को संशोधित कानूनी प्रावधानों एव नगरीय निकायों में लागू किये जा रहे नवीनतम कल्याणकारी कार्यक्रमों की समग्र जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों के निर्वाचित पदाधिकारियों एवं अधिकारियों–कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है ।

राज्य सरकार की विकेन्द्रीकरण की नीति को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए आगामी वर्ष से नगरीय निकायों में दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली लागू की जा रही है । नगरीय निकायों में नव–निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों, यथा–मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एम.आई.सी./ पी.आई.सी. सदस्य तथा पार्षदों के लिए वर्ष 2005–06 में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें । विभाग के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन आल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रशिक्षण संस्थान, शिवाजी नगर भोपाल तथा आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल द्वारा किया जाता है । वर्ष में संपन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:–

(1) आल इंडिया इन्स्टीट्यूट द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम:–

क्र.	कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागी	प्रशिक्षण संस्था /अवधि	प्रतिभागी संख्या
1	बचत एवं साख समितियों एवं सामुदायिक विकास समितियों के अध्यक्षों की कार्यशाला	–	8 कार्यशाला एक दिवसीय	–
2	नगर पालिक लेखा कर्मियों के लिए दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली	लेखाधिकारी एवं लेखापाल	4 कोर्सेस पांच दिवसीय	300
3	नगरीय प्रशासन एवं सुशासन वर्कशाप	6 नगर निगमों के महापौर, पार्षद, आयुक्त एवं अधिकारी	1 वर्कशाप	30
4	नगरीय निकायों के निर्वाचित अध्यक्षों का प्रशिक्षण	समस्त नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष	9 प्रशिक्षण 3 दिवसीय	600
5	नगरीय निकायों के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	समस्त नगरीय निकायों की महिला प्रतिनिधि	23 प्रशिक्षण 3 दिवसीय	1098
6	नगरीय निकायों के समस्त पार्षदों की कार्यशाला	समस्त नगरीय निकायों के पार्षद	51 कार्य शालायें	6000

उपर्युक्त समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम 31 मार्च 2006 तक पूर्ण कर लिये जावेगें । वर्ष 2006–07 में शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ–साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों–कर्मचारियों के लिए प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें ।

2 आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम –

क्र.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागी	प्रशिक्षण संस्था /अवधि	प्रतिभागी संख्या
1	विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित कार्यशालायें	निगमायुक्त, उपायुक्त, सी.एम.ओ.	3 कार्यशाला एक दिवसीय	150
2	प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	निकायों के पी.आई.सी. एम.आई.सी. सदस्य	15 प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिवसीय	450
3	निकायों की अधोसंरचना विषयक फील्ड प्रशिक्षण	आयुक्त / उपायुक्त सी.एम.ओ., पी.ओ.	3 प्रशिक्षण	90

उपर्युक्त विवरण अनुसार आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल द्वारा कुल 21 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगें जिनमे नगरीय निकायों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ–साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

2 सूचना प्रौद्योगिकी

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में नगरीय निकायों का कम्प्यूटरीकरण करने के अभिनव प्रयास किये जा रहे है । नगरीय निकाय की 21 गतिविधियों को जैसे सम्पत्ति कर, जल शुल्क, लायसेन्स आदि को कम्प्यूटरीकरण हेतु चिन्हित किया गया है । शासन द्वारा लागू की जाने वाली ई–गर्वनेंस योजना के कियान्वयन हेतु भी प्रयास जारी है, इस हेतु विभाग का नेशनल ई–गर्वनेंस योजना का प्रारूप तैयार हो चुका है ।

3 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रकाशन भारत के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21.6.2005 को किया गया है । उक्त अधिनियम के तहत म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शासन स्तर पर अपर सचिव को लोक सूचना अधिकारी तथा दो अवर सचिव एवं एक अनुभाग अधिकारी को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है । इसी प्रकार संचालनालय स्तर पर संयुक्त संचालक (प्रशासन) को लोक सूचना अधिकारी एवं उप संचालक को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है । शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास को तथा संचालनालय स्तर पर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

संचालनालय के साथ–साथ अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों, नगरपालिक निगमों एवं नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के लिये भी म.प्र. शासन द्वारा लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये है । संचालनालय, संभागीय कार्यालय तथा निकायों के मैन्युअल भी तैयार किये गये है ।

प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिये संचालनालय स्तर पर एक पृथक से शाखा का गठन किया गया है जिसके द्वारा प्राप्त शिकायतों तथा उसके निराकरण के संबंध में निर्धारित समयावधि में कार्यवाही की जा रही है ।

4 संसदीय कार्य

वर्ष 2005–06 के दौरान विभाग द्वारा विधान सभा सचिवालय को भेजे गये उत्तरों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	विधान सभा सत्र	विधान सभा प्रश्न	विधान सभा याचिका	शून्य काल सूचनाएं	अशासकीय संकल्प	स्थगन	ध्याना–कर्षण सूचनाएं	आश्वासन
1	फरवरी – मार्च 05	330	06	11	04	01	28	309
2	जुलाई – अगस्त 05	140	05	07	02	02	11	34
3	दिसम्बर 05 – जनवरी 06	293	02	03	04	01	11	34

5 नगरीय निकायों के निर्वाचन

वित्तीय वर्ष 2005–06 में निम्नांकित नगरीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने फलस्वरूप राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन निकायों के आम चुनाव संपन्न कराये गये :–

नगर निगम : उज्जैन

नगरपालिका परिषद : मंदसौर, शाजापुर, सीहोर

नगर पंचायत : चाकघाट, धुवारा, कोटर, भेड़ाघाट, ओरछा

6 विधि संबंधी कार्य

6.1 अधिनियमों में संशोधन

1 विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र जुलाई–अगस्त 05 में विभाग द्वारा म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 में निम्नानुसार संशोधन के लिये विधेयक लाया गया था, जो सदन द्वारा पारित होकर अधिनियम का रूप ले चुका हैः–

(1) दोनों अधिनियमों में 'माल' को परिभाषित करते हुए उसमें किसी सामग्री, वस्तु या चीज सहित पशु, तार या बेतार युक्ति के माध्यम से पारेषित विद्युत और विद्युत चुम्बकीय–तरंगों या सिग्नलों को भी सम्मिलित किया गया है ।

(2) दोनों अधिनियमों में बिना अनुमति एवं अनुमति के विपरीत निर्मित होने वाले भवनों के प्रशमन संबंधी धाराओं में संशोधन कर उन्हें युक्तियुक्त बनाया गया है ।

(3) दोनों अधिनियमों में निकायों को उनके सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति और अनुमति के विपरीत निर्मित भवनों के प्रशमन किये जाने के संबंध में नगरपालिक निगम अधिनियम की धारा 308 –ख और नगरपालिका अधिनियम की धारा 187–ग में संशोधन कर उक्त धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी 3 माह में भवन स्वामियों से आवेदन –पत्र प्राप्त करने और उनका निराकरण 6 माह की समय सीमा में करने संबंधी प्रावधान पुनः प्रभावशील किये गये हैं ।

6.2 नियमों की रचना

राज्य शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 20 जुलाई 2005 से नगरीय निकायों में परिषदों के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया विहित करने के उद्देश्य से ''म.प्र. नगरपालिका (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005'' बनाये गये हैं । नियमों का प्रकाशन राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20 जुलाई 2005 में किया गया है । वर्तमान में उक्त नियम प्रदेश के नगर पालिक निगमों और नगर पालिका परिषदों के लिये लागू किये गये हैं ।

7 विभागीय जांच प्रकरण

विभाग के अधीन राज्य नगरपालिका सेवा के कुल 63 अधिकारियों के विरूध्द विभागीय जांच के प्रकरण प्रचलित हैं । इन प्रकरणों की संभागवार स्थिति निम्नानुसार है :–

क्रमांक	संभाग का नाम	कुल प्रकरण	शासन के विचाराधीन प्रकरण
1.	ग्वालियर	05	00
2.	भोपाल	20	10
3.	इंदौर	12	09
4.	उज्जैन	03	00
5.	सागर	04	01
6.	जबलपुर	10	08
7.	रीवा	09	03
	योग	63	31

8 नगरीय निकायों में अंकेक्षण की व्यवस्था

नगरीय निकायों का अंकेक्षण संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. के द्वारा किया जाता है । वर्ष के दौरान निराकृत आपत्तियों की संभागवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	संभाग का नाम	कुल आडिट आपत्तियों की संख्या	निराकृत आडिट आपत्तियां	शेष
1	ग्वालियर	9333	520	8813
2	भोपाल	24250	2927	21323
3	उज्जैन	23546	7792	15754
4	जबलपुर	12362	2999	9363
5	रीवा	15191	4884	10307
6	इंदौर	21961	2844	19117
7	सागर	24792	1047	23745
योगः–		1,31,435	23,013	1,08,422

परिशिष्ट–एक

नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल

क.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
1	आयुक्त	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
2	संयुक्त संचालक	3	—	3	3	—	3	—	—	—	
3	उप संचालक	5	—	5	5	—	5	—	—	—	
4	सहायक संचालक	3	—	3	3	—	3	—	—	—	
5	सांख्यिकी अधिकारी	1	—	1	—	—	—	1	—	1	
6	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	3	—	3	2	—	2	1	—	1	प्रतिनियुक्ति पर जाने से 1 पद रिक्त
7	अधीक्षक	2	—	2	1	—	1	1	—	1	
8	सहायक अधीक्षक	2	—	2	1	—	1	1	—	1	
9	वरिष्ठ सहायक	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
10	लेखा अधिकारी एस. ए.एस	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
11	लेखा अधिकारी / कनिष्ठ लेखा अधिकारी	2	—	2	1	—	1	1	—	1	
12	चुंगी लेखापाल एस.ए.एस.	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
13	वरिष्ठ निज सहायक ग्रेड–1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
14	निज सहायक ग्रेड–2	2	—	2	—	—	—	2	—	2	प्रतिनियुक्ति पर जाने से 1 पद रिक्त
15	शीघ्र लेखक ग्रेड–3	5	—	5	5	—	5	—	—	—	
16	सहायक ग्रेड–1	18	—	18	14	—	14	4	—	4	
17	लेखापाल	7	—	7	4	—	4	3	—	3	
18	सहायक ग्रेड–2	15	—	15	14	—	14	1	—	1	
19	स्टेनोटायपिस्ट	3	—	3	2	—	2	1	—	1	
20	सहायक ग्रेड–3	30	—	30	30	—	30	—	—	—	

क.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
21	वाहन चालक	5	2	7	6	—	6	—	2	2	एक नियमित वाहन चालक सांख्य ोत्तर होने से अधिक है ।
22	दफ्तरी	4	—	4	2	—	2	2	—	2	
23	भृत्य	16	—	16	15	—	15	1	—	1	
24	फर्राश सह चौकीदार	7	—	7	10	—	10	—	—	—	3 नियमित फर्राश सह चौकीदार सांख्योत्तर होने से अधिक है ।
25	हेल्पर	1	2	3	1	—	1	—	2	2	
26	चौकीदार	—	1	1	—	—	—	—	1	1	
योगः—		139	5	144	124	—	124	19	5	24	

————————

संभागीय उप संचालक नगरीय प्रशासन और विकास कार्यालय मध्यप्रदेश

क.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
1	उप संचालक	7	—	7	7	—	7	—	—	—	
2	सहायक अधीक्षक	7	—	7	4	—	4	3	—	3	
3	सहायक वर्ग–1	21	—	21	16	—	16	5	—	5	
4	लेखापाल	7	—	7	6	—	6	1	—	1	
5	सहायक वर्ग–2	21	—	21	20	—	20	1	—	1	प्रतिनियुक्ति पर जाने से 1 पद रिक्त
6	सहायक वर्ग–3	28	—	28	24	—	24	4	—	4	
7	स्टेनोटायपिस्ट	7	—	7	4	—	4	3	—	3	
8	वाहन चालक	3	—	3	2	—	2	1	—	1	
9	भृत्य	14	—	14	15	—	15	—	—	—	न्यायालय के आदेशानुसार रीवा संभाग में 01 भृत्य अधिक कार्यरत है ।
	योग	115	—	115	98	—	98	18	—	18	

जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय मध्यप्रदेश

क.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	परियोजना अधिकारी	38	36	2	प्रतिनियुक्ति से
2	सहायक परियोजना अधिकारी	51	50	1	प्रतिनियुक्ति से
3	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	38	30	8	प्रतिनियुक्ति से
4	आशुलिपिक	27	27	—	
5	वाहन चालक	20	20	—	
6	भृत्य	90	90	—	
7	फर्राश सह चौकीदार	36	36	—	
8	सामुदायिक संगठक (संविदा पर रूपये 2500 प्रतिमाह)	388	272	116	संविदा नियुक्ति
	योग	688	561	127	

परिशिष्ट–दो

प्रदेश के नगरीय निकायों की संभाग/जिलावार सूची

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
1 ग्वालियर संभाग	1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. डबरा	1. पिछोर 2. बिलौआ 3. आंतरी 4. भितरवार
	2. भिण्ड		2. भिण्ड 3. गोहद	5. मेहगांव 6. लहार 7. गोरमी 8. अकोड़ा 9. मिहोना 10. आलमपुर 11. दबोह 12. मौ 13. फूफकलां
	3. मुरैना		4. मुरैना 5. अम्बाह 6. पोरसा 7. सबलगढ.	14. जौरा 15. कैलारस 16. झुण्डपुरा 17. बामौर
	4. श्योपुरकलां		8. श्योपुरकलां	18. विजयपुर 19. बड़ौदा
	5. शिवपुरी		9. शिवपुरी	20. करेरा 21. कोलारस 22. खनियाधाना 23. पिछोर 24. बदरवास 25. नरवर
	6. गुना		10. गुना 11. राधोगढ़	26. चाचौड़ा बीनागंज 27. आरोन 28. कुंभराज
	7.अशोकनगर		12.अशोकनगर 13.चंदेरी	29. मुगावली 30. ईसागढ

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	8. दतिया		14. दतिया	31. भांण्डेर 32. इंदरगढ़ 33. सेवड़ा
2. इंदौर संभाग	9. इंदौर	2. इंदौर		34. देपालपुर 35. सांवेर 36. गौतमपुरा 37. बेटमा 38. राऊ 39. हातौद 40. मानपुर 41. महुगांव
	10. धार		15. धार 16. मनावर 17.पीथमपुर	42. राजगढ़ 43. कुक्षी 44. बदनावर 45. धरमपुरी 46. धामनौद 47. सरदारपुर 48. मांडव
	11. बड़वानी		18. सेंधवा 19. बड़वानी	49. अंजड़ 50. राजपुर 51. खेतिया 52. पानसेमल
	12. झाबुआ		20. झाबुआ 21.अलीराजपुर	53. जोबट 54. थांदला 55. पेटलावद 56. भावरा 57. रानापुर
	13.पश्चिमनिमाड़		22. खरगौन 23. सनावद 24.बड़वाह	58. मण्डलेश्वर 59. कसरावद 60. भीकनगांव 61. महेश्वर
	14.पूर्व निमाड़	3. खंडवा		62. मूंदी 63. पंधाना 64. ओंकारेश्वर 65. छनेरा

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	15.बुरहानपुर	4.बुरहानपुर	25.नेपानगर	66. शाहपुर
3. उज्जैन संभाग	16. उज्जैन	5. उज्जैन	26. बड़नगर 27. महिदपुर 28. खाचरोद 29. नागदा	67. तराना 68. उन्हेल
	17. नीमच		30. नीमच	69. मनासा 70. रामपुरा 71. जावद 72. जीरन 73. रतनगढ़ 74. सिंगोली 75. डिकेन
	18. देवास	6. देवास		76. कन्नौद 77. सोनकच्छ 78. खातेगांव 79. हाटपिपल्या 80. बागली 81. भौरासा 82. करनावद 83. काटाफोड़ 84. लोहारदा 85. सतवास 86. टोंकखुर्द 87. पिपलरंवा
	19. शाजापुर		31. शाजापुर 32. शुजालपुर 33. आगर	88. नलखेड़ा 89. मक्सी 90. बड़ौद 91. कानड़ 92. अकोदिया 93. सुसनेर 94. सोयतकलां 95. बड़ागांव 96. पोलायकलां

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	20. रतलाम	7. रतलाम	34. जावरा	97. ताल 98. सैलाना 99. आलोट 100. नामली 101. बड़ावदा 102. पिपलौदा
	21. मंदसौर		35. मंदसौर	103. शामगढ़ 104. सीतामऊ 105. पिपल्यामंडी 106. नारायणगढ़ 107. मल्हारगढ़ 108. भानपुरा 109. नगरी 110. गरोठ
4. भोपाल संभाग	22. भोपाल	8. भोपाल	36. कोलार	111. बैरसिया
	23. सीहोर		37. सीहोर 38. आष्टा	112. इछावर 113. बुदनी 114. जावर 115. नसरूल्लागंज 116. रेहटी
	24. रायसेन		39. रायसेन 40. बेगमगंज 41.मण्डीदीप	117. औबेदुल्लागंज 118. सुल्तानपुर 119. बरेली 120. बाड़ी 121. सांची 122. उदयपुरा
	25. विदिशा		42. विदिशा 43.गंजबसौदा 44. सिरोंज	123. कुरवाई 124. लटेरी
	26. होशंगाबाद		45. होशंगाबाद 46. इटारसी 47. सिवनीमालवा 48. पिपरिया	125. बाबई 126. सोहागपुर

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	27. हरदा 28. बैतूल		49. हरदा 50. बैतूल 51. आमला 52. सारणी	127. टिमरनी 128. खिड़किया 129. मुलताई 130. बैतूल बाजार 131. भैंसदेही
	29. राजगढ़		53. नरसिंहगढ़ 54. सारंगपुर 55. ब्यावरा	132. राजगढ़ 133. जीरापुर 134. खिलचीपुर 135 तलेन 136 बोड़ा 137. खुजनेर 138. पचोर 139. सुठालिया 140. माचलपुर 141. छापीहेड़ा
5. सागर संभाग	30. सागर	9. सागर	56. बीना इटावा 57. खुरई 58. गढ़ाकोटा 59. रेहली 60. देवरी	142. राहतगढ़ 143. बंडा 144. शाहपुर 145. शाहगढ़
	31. दमोह		61. दमोह 62. हटा	146. तेंदुखेड़ा 147. पथरिया 148. हिन्डोरिया
	32. पन्ना		63. पन्ना	149. अमानगंज 150. देवेन्द्र नगर 151. अजयगढ़ 152. ककरहटी 153. पवई

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	33. छतरपुर		64. छतरपुर 65. नौगांव	154. धुवारा 155. सटई 156. बारीगढ़ 157. महाराजपुर 158. बिजावर 159. गढ़ीमल्हरा 160. बक्सवाहा 161. चंदला 162. बड़ामल्हरा 163. हरपालपुर 164. लौंडी 165. खजुराहो 166. राजनगर
	34. टीकमगढ़		66. टीकमगढ़	167. निवाड़ी 168. पृथ्वीपुर 169. बल्देवगढ़ 170. खरगापुर 171. पलेरा 172. जैरोनखालसा 173. तरीचरकलां 174. जतारा 175. लिधोराखास 176. बड़ागांव 177. कारी 178. ओरछा
6. रीवा संभाग	35. रीवा	10. रीवा		179. बैंकुंठपुर 180. मउगंज 181. त्यौंथर 182. हनुमना 183. चाकघाट 184. गोविन्दगढ. 185. नईगढ़ी 186. सिरमौर 187. मनगवां 188. सेमरिया 189. गुढ़

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	36. सीधी	11. सिंगरौली	67. सीधी	190 चुरहट 191. रामपुरनेकिन
	37. सतना	12.सतना	68. मैहर	192. नागौद 193. बिरसिंहपुर 194. जैतवारा 195. कोटर 196. कोठी 197. अमरपाटन 198. रामपुर–बघेलान 199. उचेहरा 200. चित्रकुट
	38. शहडोल		69. शहडोल 70. धनपुरी	201. बुढ़ार 202. ब्यौहारी 203 जयसिंहनगर 204. खाण्ड
	39.अनूपपुर		71.कोतमा 72.पसान	205.अनूपपुर 206.जैतहरी 207.बिजूरी 208.अमरकंटक
	40. उमरिया		73. उमरिया	209. चंदिया 210. नौरोजाबाद 211. पाली
7जबलपुर संभाग	41. जबलपुर	13. जबलपुर	74. पनागर 75. सिहोरा	212. बरेला 213. भेड़ाघाट 214. शाहपुरा 215. पाटन 216. मझौली 217. कटंगी
	42. कटनी	14. मुड़वारा कटनी		218. बरही 219. कैमोर 220. विजयराधवगढ़
	43. बालाघाट		76. बालाघाट 77.वारासिवनी 78.मलाजखंड	221. कटंगी 222. बैहर

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	44. छिन्दवाड़ा		79.छिन्दवाड़ा 80. पांढुर्ना 81.जुन्नारदेव जामई 82. डोगर परासिया	223. हर्रई 224. चौरई 225. लोधीखेड़ा 226. सौंसर 227. न्यूटन चिखली 228. अमरवाड़ा 229. चांदामेटा बुटारिया 230. मोहगांव
	45. नरसिंहपुर		83.नरसिंहपुर 84.गाडरवारा	231. गोटेगांव 232. करेली
	46. सिवनी		85. सिवनी	233. लखनादौन 234. बरघाट
	47. मंडला		86. मंडला 87. नैनपुर	235. बम्हनीबंजर
	48. डिण्डोरी			236. डिण्डोरी 237. शाहपुरा

नगर पालिक निगम	**14**
नगरपालिका परिषद	**87**
नगर पंचायत	**237**
योग	**338**

———

परिशिष्ट–तीन

नगरीय प्रशासन एवं विकास
वर्ष 2005–06 का आवंटन तथा व्यय (दिसम्बर 2005 तक)

(राशि लाख रूपये में)

आयोजनेत्तर

	बजट प्रावधान	आवंटन	व्यय
जलप्रदाय गृहों का संधारण	1747.05	1572.35	1093.47
चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान	46040.40	41436.36	31110.53
सड़क मरम्मत के लिए अनुदान	5225.00	4702.50	3258.99
मूलभूत सुविधा के लिए अनुदान	17046.42	15341.78	12201.95
यात्रीकर विशेष अनुदान	6471.73	5824.56	4368.42
मुद्रांक शुल्क अनुदान	2300.00	2300.00	2300.00
म.प्र.अपमिश्रण निवारण के लिए अनुदान	0.50	0.45	0.00
राज्य वित्त आयोग	6763.70	6763.70	4159.27
ऋण	0.00	0.00	0.00
योग आयोजनेत्तर	85594.80	77941.70	58492.63

आयोजना सामान्य

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना	320.27	320.27	180.18
अन्य विकास कार्य अनुदान	4.34	4.34	4.34
रीवा शहर के लिये फ्लायओवर का निर्माण	100.00	100.00	0.00
भोपाल शहर के लिये सफाई/बिजली की व्यवस्था	200.00	200.00	0.00
शुष्क शौचालयों का फ्लश में परिर्वतन	1.00	1.00	0.00
प्रशिक्षण	10.00	10.00	8.75
निजी कालोनियों में 15 प्रतिशत भूमि का मुआवजा	1.00	1.00	0.00
सूचना प्रोद्योगिकी से संबंधित कार्य	5.00	5.00	0.00
गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम			
अनुदान	695.50	695.50	463.67
ऋण	1622.80	1622.80	395.00
बारहवां वित्त आयोग	4985.00	4985.00	4985.00
शहरी सुधार प्रोत्साहन कार्यक्रम	1950.00	1950.00	256.00
अयोध्या बस्ती कार्यक्रम	1250.00	1250.00	1050.00
सिंहस्थ मेला व्यवस्था	900.00	900.00	0.00
ग्वालियर शहर हेतु ठोस अपशिष्ठ	603.585	603.585	0.00

प्रबंधन			
ए.डी.बी. योजना	4000.00	4000.00	0.00
योग सामान्य	16648.495	16648.495	7342.94

विशेष घटक योजना

	बजट प्रावधान	आवंटन	व्यय
झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में पेयजल तथा शौचालय आदि की व्यवस्था के लिए	82.60	82.60	0.00
सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना	7.20	7.20	0.00
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना	227.43	227.43	151.62
अन्य विकास कार्य	-	-	-
अनुदान	245.00	245.00	245.00
ऋण	34.06	34.06	34.06
शुष्क शौचालयों का फ्लश में परिर्वतन	10.00	10.00	7.00
गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम	-	-	-
अनुदान	173.20	173.20	115.47
ऋण	404.30	404.30	100.00
बारहवां वित्त आयोग	1241.00	1241.00	1241.00
शहरी सुधार प्रोत्साहन कार्यक्रम	485.00	485.00	80.00
अयोध्या बस्ती कार्यक्रम	384.00	384.00	384.00
योग विशेष घटक योजना	3293.79	3293.79	2358.15

आदिवासी उपयोजना

झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में पेयजल तथा शौचालय आदि की व्यवस्था के लिए	31.40	31.40	0.00
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना	86.87	86.87	57.92
गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम	-	-	-
अनुदान	138.80	138.80	92.53
ऋण	323.70	323.70	85.50
बारहवां वित्त आयोग	994.00	994.00	994.00
शहरी सुधार प्रोत्साहन कार्यक्रम	385.00	385.00	64.00
अयोध्या बस्ती कार्यक्रम	366.00	366.00	366.00
योग आदिवासी उपयोजना	2325.77	2325.77	1659.95

जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय मध्यप्रदेश

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिमार्क
1	परियोजना अधिकारी	38	समस्त पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाना है।
2	सहायक परियोजना अधिकारी	51	
3	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	38	
4	आशुलिपिक	27	
5	वाहन चालक	20	
6	भृत्य	90	
7	फर्राश सह चौकीदार	36	
8	सामुदायिक संगठक (संविदा पर रूपये 2500 प्रतिमाह)	388	संविदा नियुक्ति
	योग	**688**	